

अवधेश प्रताप रिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक/अकादमिक/अ0म0/2021/1052

रीवा, दिनांक ५.८.२०२१

अधिसूचना

आदेशानुसार, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 के अन्तर्गत प्रदध सकाय अन्तर्गत के अन्तर्गत अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल की गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है। अधिनियम वी धारा 28(4) के अन्तर्गत अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल की कार्यावधि इस अधिसूचना प्रसारण दिनांक से तीन वर्ष की होगी -

व्यवसाय प्रशासन अध्ययन मण्डल

अधिनियम

28(2) एक

1. प्रो० अतुल पाण्डेय
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, व्यवसाय प्रशासन
अ0प्र0 रिह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

28(2) दो

1. रिवत
2. रिवत

28(2) तीन

1. रिवत

28(2) चार

1. डॉ० संकल्प शुभला,
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, व्यवसाय प्रशासन
वी०आई०एम०आर० सताना (म0प्र0)
2. डॉ० सुनीता रोहरा,
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, व्यवसाय प्रशासन
विन्द्याचल महाविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

28(2) पाँच

1. डॉ० अतुल दुखे,
प्राध्यापक, व्यवसाय प्रशासन विभाग
श्री राम कॉलेज, जबलपुर (म0प्र0)
2. प्रो० योगेश उपाध्याय,
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, व्यवसाय प्रशासन विभाग
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म0प्र0)

अधिनियम 28(3) के अन्तर्गत प्रो० अतुल पाण्डेय को व्यवसाय प्रशासन अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।


5.8.21
कुलसंचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, राजभवन भोपाल (म0प्र0)
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुडा भवन, भोपाल (म0प्र0)
3. अध्ययन मण्डल के समरत सदस्यगण।
4. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य।
5. संकायाध्यक्ष, प्रवंध संकाय।
6. कुलसंचिव, मध्यप्रदेश के समरत विश्वविद्यालय।
7. निर्देशक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमिक रविन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, भोपाल (म0प्र0)
8. कुलपति जी के सचिव/कुलसंचिव के निज सहायक


सुधायक कुलसंचिव (अकादमिक)